

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 1418 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 29 / 12 / 15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. राघवेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह जाट उम्र 30 वर्ष
निवासी :- ग्राम भड़ेरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 06 / 10 / 2016 को घोषित)

01. आरोपी राघवेन्द्र पर धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 27 / 12 / 2015 को शाम लगभग 08:45 बजे गल्ला मण्डी मौ सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी (I) दिनांक 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 27 / 12 / 2015 को थाना मौ के प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1068 में रवानगी प्रविष्टि कर मय हमराही फोर्स के साथ कस्बा गश्त हेतु रवाना हुये थे। दौरान-ए-गश्त मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राघवेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह जाट निवासी ग्राम भड़ेरा, हाथ में नंगी लोहे की छुरी लेकर अपराध करने की नियत से गल्ला मण्डी में घूम रहा है। उक्त सूचना की तश्दीक हेतु मयफोर्स मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, तो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से लोहे की छुरी लिए पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम राघवेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह जाट उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम भड़ेरा का होना बताया। आरोपी से इस वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी के कब्जे से अवैध लोहे का छुरी विधिवत् जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी राघवेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्जिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 296 / 2015

अन्तर्गत धारा 25 B आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी सुरेश सिंह एवं आरक्षक राजेश सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त राघवेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी राघवेन्द्र ने दिनांक 27/12/2015 को शाम लगभग 08:45 बजे गल्ला मण्डी मौ सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म. प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी(।) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 27 को वर्ष 2015 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, महीना उसे याद नहीं है। उक्त दिनांक को वह दरोगा भईया लाल सनोरिया के साथ कस्बा गश्त करते हुए गल्ला मण्डी रात्रि लगभग 09 बजे पहुँचा, वहाँ पर उसने देखा कि आरोपी राघवेन्द्र हाथ में छुरी लिये घूम रहा था एवं गाली-गलौच कर रहा था। साक्षी आगे कहता है कि वह पुलिस वालों को देखकर डरकर भागने लगा, उसने एवं भईयालाल सनोरिया ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। साक्षी आगे कहता है कि पहले उसने आरोपी को साक्षीगण सुरेन्द्र एवं एक अन्य व्यक्ति के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी के हाथ से साक्षीगण सुरेन्द्र एवं एक अन्य के समक्ष छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाया था, जहाँ उसके द्वारा

रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1073 पर वापसी इन्द्राज की गई थी, रोजनामचा सान्हा वापसी की सत्यप्रति प्र.पी.03 है। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 296/2015 अन्तर्गत धारा 25 B आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद उसने साक्षीगण सुरेश सिंह एवं एक अन्य के कथन धारा 161 द.प्र.सं. लेखबद्ध किये एवं अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत छुरी वहीं छुरी है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया था, छुरी आर्टिकल ए-01 है।

08. उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षण में पुरुषोत्तम अ.सा.03 द्वारा घटना का माह दर्शित नहीं किया गया है। लेकिन प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में उसने स्वतः कहा है कि घटना दिनांक : 27/12/2015 की है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में पुरुषोत्तम अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर दिनांक : 27/12 का उल्लेख है, वर्ष का उल्लेख नहीं है और जब्ती के समय का भी उल्लेख नहीं है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में जब्ती दिनांक के रूप में केवल 27/12 का उल्लेख है, वर्ष का उल्लेख नहीं है, ना ही जब्ती के समय का उल्लेख है। जब्ती के स्थान का कॉलम भी खाली है। जब्ती के स्थान के विवरण के कॉलम में मात्र गल्ला मण्डी मौ लिखा हुआ है। इस प्रकार जब्ती पत्रक प्र.पी.01 से कहीं पर भी यह दर्शित नहीं होता कि उक्त जब्ती पत्रक किस वर्ष के 27 दिसम्बर को, किस समय पर तैयार किया गया है।

09. प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया है कि वह घटना दिनांक को दरोगा भैयालाल सनोरिया के साथ गश्त करते हुए रात्रि लगभग 09:00 बजे गल्ला मण्डी पहुँचा था। इसका अर्थ यह है कि प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम अ.सा.03 द्वारा आरोपी राघवेन्द्र से छुरा जब्ती एवं उसकी गिरफ्तारी की जो भी कार्यवाहियों की गई थी, वह रात्रि 09 बजे के पूर्व नहीं की गई थी, बल्कि रात्रि 09 बजे या उसके पश्चात् की गई थी। जबकि पुरुषोत्तम अ.सा.03 द्वारा तैयार किये गये आरोपी राघवेन्द्र से जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में तो जब्ती के समय का कोई उल्लेख ही नहीं है और गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 में भी गिरफ्तारी का समय 20:55 अर्थात् रात्रि 08:55 का होना लेखबद्ध किया गया है। पुरुषोत्तम अ.सा.03 द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 में घटना के समय के रूप में 20:45 अर्थात् रात्रि 08:45 होना अंकित है और स्थान के रूप में गल्ला मण्डी मौ अंकित है। यह किसी भी रूप में संभव नहीं है कि एक व्यक्ति घटनास्थल पर रात्रि 09 बजे पहुँचे और पहुँचने के पाँच मिनट पहले वहाँ पर गिरफ्तारी पत्रक भी तैयार कर ले। घटना के समय के रूप में 15 मिनट पूर्व का समय अंकित कर दें। इस प्रकार आरोपी राघवेन्द्र की गिरफ्तारी एवं उससे छुरी या छुरा जब्त किये जाने के समय के संबंध में प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा तैयार किये जब्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.01, प्र.पी.02 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.04 में उल्लेखित तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक : 27/12/2015 के शाम साढ़े आठ बजे की होना बता रहा है। जबकि साक्षी राजेश घटनास्थल गल्ला मण्डी मौ पहुँचने का समय शाम लगभग 08:30 से 08:45 बजे के बीच का होना बताता है, वहीं साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.03 घटनास्थल गल्ला मण्डी मौ पहुँचने का समय रात्रि 09 बजे होना बताता है। इस प्रकार घटनास्थल पर पहुँचने के समय एवं आरोपी से आरोपित वस्तु जब्त होने के समय तथा आरोपी की गिरफ्तारी के समय के संबंध में साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.01, राजेश अ.सा.02 एवं पुरुषोत्तम अ.सा.03 के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

11. पुरुषोत्तम अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह एवं भईयालाल दरोगा गश्त करने हेतु गये थे और कोई नहीं गया था। जबकि राजेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम एवं आरक्षक सुभाष के साथ दिनांक : 27/12/2015 को घटनास्थल पर गया था। इस प्रकार घटनास्थल पर प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम अ.सा.03 के साथ जब्ती एवं गिरफ्तारी का साक्षी आरक्षक क्रमांक 1127 राजेश अ.सा.02 गया था अथवा नहीं, इस वावत् पुरुषोत्तम अ.सा.03 एवं राजेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में पुरुषोत्तम अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 पर धार नहीं है, बल्कि जंग लगी हुई है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पर आरोपित अपराध के आयुध का धारदार होना आवश्यक है। पुरुषोत्तम अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में पद क्रमांक 07 के पश्चात् न्यायालय द्वारा लगाया गया एक नोट अंकित है, जिसमें यह उल्लेख है कि **“आयुध का अवलोकन करने पर न्यायालय में प्रस्तुत जब्तशुदा आयुध आर्टिकल ए-01 छुरी न होकर धारिया या बका जैसा बड़ा आयुध होना प्रकट होता है”**। जबकि अभियोजन कथा के अनुसार आरोपी राघवेन्द्र से एक छुरी जब्त होने का उल्लेख जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में है और साक्षी सुरेन्द्र अ.सा.01 द्वारा भी आरोपी से लोहे की एक छुरी जब्त किये जाने का उल्लेख उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में किया गया है। इस प्रकार आरोपी से छुरी जब्त हुई थी या धारिया या बका जैसा कोई बड़ा आयुध जब्त हुआ था, इस वावत् पुरुषोत्तम अ.सा.03 एवं सुरेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी राघवेन्द्र घटना के समय हाथ में छुरी लिये घूम रहा था। जबकि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के साक्षी राजेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम अ.सा.03 द्वारा आरोपी राघवेन्द्र की तलाशी ली जाने पर उसकी पेंट की दाहिनी तरफ वह लोहे का बका जैसा खुरसे मिला था। इस प्रकार घटना के समय आरोपी जब्तशुदा आयुध को हाथ में लेकर घूम रहा था अथवा उसे पेंट में दाहिनी तरफ खुरसे हुये था, इस वावत् पुरुषोत्तम अ.सा.03 एवं राजेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

14. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राघवेन्द्र ने दिनांक :- 27/12/2015 को शाम लगभग 08:45 बजे गल्ला मण्डी मौ सार्वजनिक स्थान पर आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी(।) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।

अंतिम निष्कर्ष

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी राघवेन्द्र के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राघवेन्द्र को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

17. प्रकरण में आरोपी राघवेन्द्र से जब्तशुदा लोहे का छुरा मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद